संख्या:69/2015/838जेएल/22-3-15-100(17)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015***

विषय: जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सिंहराज भाटी पुत्र श्री हंसराज सिंह भाटी को जिला कारागार, बॉदा से अन्यत्र कारागार पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-7754/सामा-1(3)/गौतमबुद्धनगर/2014, दिनांक 10-03-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सिंहराज भाटी पुत्र श्री हंसराज सिंह भाटी को जिला कारागार-उरई (जालौन) स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व मा0 न्यायालयों की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर द्वारा की जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:69/2015/838जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा।
2. पुलिस अधीक्षक, बॉदा।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, बॉदा/उरई (जालौन)/गौतमबुद्धनगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in